क्रमांक 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।	
	अधिहरण वाद सं0 10/2009–10	
	राज्य सरकार –बनाम– लखन हेम्ब्रम एवं अन्य	
	–: **आदेश** :–	
14.12.2018	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक 317/आ0, दिनांक 31.10.2009 के द्वारा तालझारी थाना कांड संख्या 60/2009 दिनांक 27.10.2009 में जप्त किये गये 1055 (एक हजार पचपन) लीटर किरासन तेल को अधिहरण करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आरम्भ किया गया। मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– दिनांक 26.10.2009 को मेसर्स जी0डी0 सोडानी, किरासन तेल थोक विक्रेता के द्वारा लखन हेम्ब्रम अनुज्ञप्ति संख्या 06/2001, पंचायत पोखरिया को 1055 (एक हजार पचपन) लीटर, चन्द्रदेव मालतो अनुज्ञप्ति संख्या 06/2000, पंचायत सगड़भंगा को 1175 (एक हजार एक सौ पचहत्तर) लीटर एवं बसंत रविदास अनुज्ञप्ति संख्या 294/1984 पंचायत सगड़भंगा को 890 (आठ सौ नब्बे) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की गई, जो ट्रक संख्या WB65/8603 चालक कैलाश मंडल, पिता–घिसु मंडल, साकिन–करवला के द्वारा अनुज्ञप्ति धारियों की दुकान में पहुँचाने हेतु ले जाने के क्रम में ग्राम सगड़भंगा के ग्रामीणों द्वारा शक के आधार गाड़ी को रोका गया तथा उच्चाधिकारी को इसकी सूचना दी गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तालझारी के द्वारा जाँच के क्रम में ट्रक में लदे 8 ड्राम पाया गया, जिसमें 3 ड्राम में लगभग 655 (छः सौ पचपन) लीटर किरासन तेल जिसके ड्राम में लखन हेम्ब्रम का नाम अंकित था, तथा 5 ड्राम खाली था। 5 खाली ड्राम में से 3 ड्राम में बसंत रविदास का नाम अंकित था तथा 2 ड्राम में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं था। चालक द्वारा बताया गया कि 2 ड्राम किरासन तेल सुशील यादव, पिता–लखिचन्द यादव, साकिन–पड़रिया प्रमुखटोला, प्रखण्ड–राजमहल के घर के सामने सड़क के किनारे उतारा गया है, जो जाँच के क्रम में 2 ड्राम में 400 (चार सौ) लीटर किरासन तेल जिसके ड्राम में लखन हेम्ब्रम का नाम अंकित था एवं एक ड्राम खाली पाया गया। इस प्रकार कुल 11 ड्राम जप्त किया गया, जिसमें से 6 ड्राम खाली पाया गया तथा 5 ड्रामों में लगभग 1055 (एक हजार पचपन) लीटर ब्लु किरासन तेल को श्री भोलानाथ चौरसिाया, जनवितरण विक्रेता, तालझारी के जिम्मेनामा पर देकर अभियुक्त गाड़ी चालक कैलाश मंडल एवं जनवितरण प्रणाली विक्रेता लखन हेम्ब्रम एवं बसंत रविदास को आरोपित करते हुए उनके विरूद्ध राजमहल थाना कांड संख्या 60/2009 दिनांक 27.10.2009 दर्ज कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव से संतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जप्त 1055 (एक हजार पचपन) लीटर किरासन तेल को क्षति होने से रोकने हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तालझारी को नियमानुसार बिक्री कर बिक्री राशि जिला नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा कराने हेतु निर्देश दिया गया। तथा अभियुक्त विपक्षीगण को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया।	

Scanned with CamScanner

दिश की कमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तालझारी द्वारा दिनांक 30.12.2009 को जप्त किरासन तेल बिक्री कर बिक्री राशि 10,602.75 (दस हजार छः सौ दो रूपये एवं पचहत्तर पैसे) रूपये का नाजिर रसीद संख्या 1285441 द्वारा जमा कर नाजिर रसीद समर्पित किया गया। तीनों अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दायर किये गये, जो ठोस प्रमाण एवं संतोषजनक नहीं है। विपक्षीगण को अपना दावा के समर्थन में ठोस प्रमाण समर्पित करने हेतु पुनः नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित पाये गये। इससे स्पष्ट है कि विपक्षीगणों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। वाद निष्पादन हेतु लम्बी अवधि से लंबित चला आ रहा है।

अतएव विपक्षीगणों के अभिरूचि के अभाव में जप्त 1055 (एक हजार पचपन) लीटर किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत् अधिहरित (राज्यसात) किया जाता है। जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तालझारी के द्वारा नाजिर रसीद संख्या 1285441 दिनांक 04.01.2010 के माध्यम से जमा राशि कुल 10,602.75 (दस हजार छः सौ दो रूपये एवं पचहत्तर पैसे) रूपये को उचित शीर्ष में जमा करायेंगे। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संसोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

14/12/18
उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner